भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1764
05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कूड़े-कचरे का प्रबंधन

1764. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में कूड़े-कचरे और मल-जल का प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार राज्यों को कचरा और मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का तत्संबंधी वर्ष/शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया है/करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : कचरा, अपशिष्ट और सीवेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए सरकार ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) और दिनांक 25 जून, 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) प्रारंभ किया है।

चरण-I में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 से दिनांक 1 अक्टूबर, 2026 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी शहरों

में सुरक्षित स्वच्छता सुनिश्चित करना और नगरपालिका के ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना है।

शहरों को 'आत्मनिर्भर' और ' जल संरक्षित' बनाने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 प्रारंभ किया गया है । अमृत 2.0 देश के 500 शहरों से लेकर सभी सांविधिक कस्बों तक जलापूर्ति में सार्वभौमिक कवरेज को बढ़ाकर जीवन को आसान बनाएगा ।

(घ) और (ङ) : एसबीएम-यू के तहत केंद्रीय हिस्से (सीएस) की सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के एमएसडब्ल्यू प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए दी जाती है, जैसे अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी), अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई), जैव-मीथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) और पुराने अपशिष्ट डंपसाइट सुधार आदि। एसबीएम-यू में एसडब्ल्यूएम घटक के तहत 7,365.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए (दिनांक 02.10.2014 से 30.09.2021 तक) और एसबीएम-यू 2.0 के तहत 10,930.12 करोड़ रुपये (दिनांक 01.10.2021 से 01.10.2026 तक) आवंटित किए गए हैं।

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत केंद्रीय हिस्से की धनराशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, शहरों को नहीं। इसलिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहर-वार धनराशि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत हरियाणा राज्य को आवंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	एसबीएम चरण	आवंटित निधि	जारी की गई निधि
1	एसबीएम-यू (2014 - 2021)	287.08	186.01
2	एसबीएम-यू 2.0 (2021 - 2026)	645.70	13.46

हरियाणा में यूएलबी-वार ठोस अपशिष्ट संयंत्रों का विवरण https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

अमृत के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत 34,488 करोड़ रुपये की लागत वाली 888 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 32,022 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप

से निष्पादित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में अब तक 68,198 करोड़ रुपये की लागत वाली 595 परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की सर्वोच्च समिति द्वारा स्वीकृति दी गई है।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत हरियाणा राज्य को जारी सीएस निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	हरियाणा	147.18	0.00	149.43	0.00

अमृत पोर्टल पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत के तहत सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में 99.2 करोड़ रुपये की लागत की कुल 05 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं और ये सभी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं ।

(च) और (छ): स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) की निगरानी एसबीएम-यू की प्रगति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत सूचना की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरों में एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में स्वच्छता की स्थिति और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिवर्ष 'स्वच्छ सर्वेक्षण' संचालित किया जाता है।

*****